न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)
मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/2012/73

1. रामस्वरूप जांगिड आयु 62 वर्ष
2. मदनलाल जांगिड आयु 57 वर्ष
   पुत्रान् स्व0 श्री जुगल किशोर
3. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री रामस्वरूप
4. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री मदनलाल
   जाति जांगिड, निवासीयान–प्लॉट नंबर–53, वार्ड नंबर–5, नई बस्सी, बगरू, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. श्रीमती प्रभु देवी पत्नी श्री घासीराम, जाति घासीराम, जाति जाट, निवासी ग्राम टीकेल, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. श्रीमती श्रवणी देवी पत्नी श्री सुरजाराम, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम नासनोदा, तहसील दूदू जिला जयपुर।
3. विजय कुमार पुत्र श्री नन्दलाल जाति ब्राहम्ण, निवासी प्लॉट नंबर 11, कटारियापुरी, रामनगर, सोडाला, जयपुर
4. श्रीमती प्रेम कंवर पत्नी श्री जीवराज सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम दूदू, जिला जयपुर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम–1955

निर्णय **दिनांक: 15.05.2020**

वादीगण की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि – वादीगण की आराजी कृषि भूमि खसरा नंबरान् 4810, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4874, 4875, 4879, 4873, 4876, 4877, 4820, 4821, 4822 व 4823 कुल किता 16 कुल रकबा 2.67 है0 बगरू कलां में स्थित हैं तथा वादीगण अपनी उकत आराजी कृषि भूमि पर कब्जे काश्त है। प्रतिवादीगण की आराजी कृषि भूमि खसरा नंबरान् 4812, 4818, 4819, 4872, 4878 कुल किता 5 कुल रकबा 0.97 हे0 बगरू कलां में स्थित है तथा प्रतिवादीगण की उक्त आराजी कृषि भूमि के पश्चिमी और वादीगण की आराजी कृषि भूमि खसरा नंबरान् 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4874, 4875, 4876, 4877, 4873, 4879 तथा पूर्वी ओर वादीगण की आराजी कृषि भूमि खसरा नंबरान् 4820, 4821, 4822, 4822, 4810, 4823 है। अर्थात् प्रतिवादीगण की कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:54:20 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की कृषि भूमि के मध्य स्थित है। प्रतिवादीगण ने उक्त कृषि भूमि मूल्या पुत्र लादू जांगिड से कृषि उपयोग व उपभोग हेतु क्रय की है, परन्तु प्रतिवादीगण अब अपनी उक्त कृषि भूमि का बिना रूपान्तरण कराये कॉलोनाईजेशन कर आवासीय कॉलोनी बना रहे है, जो अवैध एवं गैर कानूनी है तथा वादीगण की कृषि भूमि पर पूर्वी एवं पश्चिमी ओर कदीम बनी मेडो को तोड़कर व पेडो को काटकर अवैध अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करना चाहते है, जिसका प्रतिवादीगण को कतई कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादीगण आपराधिक एवं झगडालू किस्म के व्यक्ति है, जो आये दिन वादीगण के साथ लड़ाई–झगड़ा एवं गाली–गलौच करते रहते है तथा अब प्रतिवादीगण की नियत में फितूर आ गया है। और वह अनाधिकृत तौर पर वादीगण की कृषि भूमि पर कब्जा कर निर्माण करने पर उतारू हो रहे है। वाद कारण दिनांक 19.07.2012 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की उक्त वादग्रस्त भूमि पर निर्माण सामग्री पत्थर, ईट, रोडी व बजरी डालने व वादीगण की उक्त आराजियात कृषि भूमि पर कदीमी बनी मेडो को तोडकर व पेडों को काटकर अवैध अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण कर आवासीय कॉलोनी बनाने की धमकी दिये जाने पर उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादीगण की कृषि भूमि आराजी खसरा नंबरान् 4810, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4874, 4875, 4879, 4873, 4876, 4877, 4820, 4821, 4822 व 4823 कुल किता 16 कुल रकबा 2.67 है0 में किसी प्रकार का निर्माण व खुदाई ना करे और ना ही मौके पर बनी हुई कदीमी मेड़ो की शक्ल में किसी प्रकार का परिवर्तन करे और ना ही मेड़ो पर स्थित पेडो को काटे तथा वादीगण के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करे, ना अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, मुख्त्यार आदि से करावें।

वादीगण ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ नक्शा खसरान् वादीगण एवं प्रतिवादीगण सत्यप्रति, जमाबंदी किता 5 प्रमाणित फोटो प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 की ओर से श्री दिनेश शर्मा एडवोकेट ने यूटी दी लेकिन वकालतनामा हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी वकालतनामा पेश नही करने पर प्रतिवादी संख्या 1, 2 [illegible] एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishn
Goyal
Date: 2020.12.15 14:54:
Reason: SelfAttested

मदन लाल कुडी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। जवाब दावा हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी जवाब दावा पेश नही करने पर प्रतिवादी संख्या 3 के जवाब दावे का अवसर बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई। वकील वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू. 1 श्री रामस्वरूप जांगिड पुत्र स्व0 श्री जुगलकिशोर, पी.डब्ल्यू. 2 श्री मदन लाल जांगिड पुत्र स्व0 श्री जुगल किशोर, पी.डब्ल्यू. 3 श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री रामस्वरूप जांगिड, पी.डब्ल्यू. 4 श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री मदनलाल जांगिड पेश किये। पत्रावली वास्ते जिरह प्रतिवादी नियत की गई। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी गवाह से जिरह नही करने पर जिरह का अवसर बंद कर वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी पत्रावली नियत की गईं। विचाराधीन वाद में प्रतिवादी अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वास्ते बहस वादपत्र नियत की गई।

वकील वादी की बहस अन्तिम सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श–1 किता 5 के खसरा नंबर 4810, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4874, 4875, 4879, 4873, 4876, 4877, 4820, 4821, 4822, 4823 के वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार व खसरा नंबर 4809, 4812, 4818, 4819, 4872, 4878 वाकै ग्राम बगरूकलां पटवार हल्का बगरूकला ए एण्ड बी, भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर के प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2 से स्पष्ट है कि वादीगण के खसरा नंबरान् की सीमा प्रतिवादीगण के खसरा नंबरान् से लगी हुई है। तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपत्र पत्रों पी. डब्ल्यू. 1, 2, 3, 4 से स्पष्ट है कि वादीगण की कृषि भूमि में प्रतिवादीगण मेड को तोडकर निर्माण कार्य व मौके की स्थिति को परिर्वतन कर रहे है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण द्वारा प्रसतुत दस्तावेजों के खण्डन में किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है ना ही साक्ष्य, सबूत एवं अपनी बहस प्रस्तुत की हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त तथ्य अखण्डनीय हैं। ऐसे में वादीगण अपने वाद को सिद्ध करने में पूर्ण सफल रहे हैं। इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है प्रतिवादीग[illegible] वादीगण की आराजी खसरा नंबर 4810, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817,

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Goyal
Date: 2020.12.15 14:54:20
Reason: SelfAttested

4874, 4875, 4879, 4873, 4876, 4877, 4820, 4821, 4822, 4823 वाकै ग्राम बगरूकलां पटवार हल्का बगरूकला ए एण्ड बी, भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर का बिना पैमाईश निर्माण कार्य नही करें व वादीगण की आराजीयात में किसी प्रकार की दखलदांजी व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नही करें। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2020 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:54:20 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर एवं** कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम **जयपुर** ब इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल–I** (आर.ए.एस.)

रामस्वरूप जांगिड

बनाम

श्रीमती प्रभू देवी वगै.

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम–1955

मुकदमा नम्बर – दावा/2012/73

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी खसरा नंबर 4810, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4874, 4875, 4879, 4873, 4876, 4877, 4820, 4821, 4822, 4823 वाकै ग्राम बगरूकलां पटवार हल्का बगरूकला ए एण्ड बी, भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर का बिना पैमाईश निर्माण कार्य नही करें व वादीगण की आराजीयात में किसी प्रकार की दखलदांजी व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नही करें।इस आशय का पर्चा डिक्री जारी की जाती है।

निज .... मुबलिग .... बाबत् ....

.... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.07.2020 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....

ओहदा ....

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वि.

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान		00			

Signature Not V...

Digitally signed by V...
Goyal
Date: 2020.12.15 1...
Reason: SelfAtteste...